191 31 सीपीएसई के बोर्ड स्तर के कार्यपालकों के संदर्भ में 2007 आईडीए वेतनमानों के लिए मानक निबंधन और शर्तें

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि आईडीए पैटर्न पर वेतनमानों का अनुपालन करने वाले सीपीएसई के कार्यपालकों के संदर्भ में 01.01.2007 से संशोधित वेतनमानों के संबंध में डीपीई के दिनांक 26.11.2008, 09.02.2009 और 02.04.2009 के कार्यालय ज्ञापनों के जरिए आदेश जारी किए गए हैं। इन कार्यालय ज्ञापनों में घोषित की गई सरकार की नीति के आधार पर डीपीई द्वारा आईडीए वेतनमानों का अनुपालन करने वाले सीपीएसई के बोर्ड सतर के कार्यपालकों के संदर्भ में मानक निबंधन और शर्तों को अंतिम रूप दिया गया है। मानक निबंधन और शर्तों की एक प्रतिलिपि संलग्न है।

2. 2007 वेतनमानों में बोर्ड स्तर के कार्यपालकों के वेतन निर्धारण संबंधी सभी प्रस्ताव और निबंधन और शर्तें संशोधित प्रपत्र में मसौदा निबंधन और शर्तों के साथ पुनरीक्षण के लिए डीपीई को अग्रेषित किए जाएं।

3. ऐसे मामलों, जहां डीपीई ने सीपीएसई के बोर्ड स्तर के कार्यपालकों के संदर्भ में 2007 आईडीए वेतनमानों पर आधारित वेतन निर्धारण को पहले ही अनुमोदित कर दिया है, में मामले में ऐसे बोर्ड स्तर के कार्यपालकों की निबंधन और शर्तों को संलग्न मानक निबंधन और शर्तों के अनुसार अंतिम रूप दिया जाए। इस प्रकार अंतिम रूप दी गई निबंधन और शर्तों की एक प्रतिलिपि डीपीई को पृष्ठांकित की जाए, जिसमें संबंधित बोर्ड स्तर के कार्यपालकों के वेतन निर्धारण के मामले में दी गई डीपीई की संदर्भ संख्या उद्धृत की जाए।

4. यह सचिव, डीपीई के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

सीपीएसई के बोर्ड स्तर के कार्यपालकों के संदर्भ में 2007 आईडीए वेतनमानों के लिए मानक निबंधन और शर्तें

मंत्रालय का नाम.....
.....

विभाग का नाम .....
.....

सेवा में

विषयः श्री/श्रीमती/कुमारी..... की .....में .....
.....के रूप में नियुक्ति संबंधी निबंधन और शर्तें

महोदय/महोदया,

मुझे निम्नलिखित निबंधन और शर्तों के आधार पर श्री/श्रीमती/कुमारी.....
...की .....में .....के रूप में .....
.....
नियुक्ति के लिए माननीय राष्ट्रपति जी की मंजूरी सूचित करने का निदेश हुआ है :

1.1 अवधिः उनकी नियुक्ति की अवधि पहली बार में .....(नियुक्ति की तारीख) से पांच वर्ष अथवा अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की तारीख तक या अगला आदेश होने, जो भी पहले हो तक होगी और इस संबंध में समय–समय पर यथा संशोधित कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू होंगे। तथापि इस नियुक्ति को किसी भी पक्षकार (नियोक्ता अथवा कर्मचारी) द्वारा या तो तीन माह का नोटिस अथवा नोटिस के बदले में तीन माह के वेतन का भुगतान करने पर इसी अवधि के दौरान भी समाप्त किया जा सकता है।

1.2 एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात श्री/श्रीमती/कुमारी.....के कार्य निष्पादन की समीक्षा की जाएगी, जिससे कि सरकार उनके कार्यकाल की बकाया अवधि के लिए उनकी सेवाओं को जारी रखने अथवा इस संबंध में अन्यथा कोई निर्णय लेने में सक्षम हो सके।

1.3 मुख्यालय : उसका मुख्यालय .....मे होगा, जहां सीपीएसई का पंजीकृत कार्यालय/मुख्यालय अवस्थित है। वह सीपीएसई के विवेकाधिकार पर देश के किसी भी भाग में सेवाएं देने के लिए जबावदेह होगा/होगी।

1.4 वेतन : श्री/श्रीमती/कुमारी.....पदभार ग्रहण करने की तारीख (यदि वेतन संशोधन लागू होने की तारीख से पहले नियुक्त होता/होती है, तो ऐसी स्थिति में वेतन संशोधन की तारीख) से .....रुपए के वेतनमान में .....रुपए प्रतिमाह का मूल वेतन आहरित करेंगे/करेंगी।

1.5 महंगाई भत्ता : उन्हें डीपीई के दिनांक 26.11.2008 और 02.04.2009 के कार्यालय ज्ञापन में दी गई नई आईडीए योजना के अनुसार महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

1.6 वार्षिक वेतन वृद्धि : वह इस वेतनमान में अपनी नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष बाद उसी तारीख को मूल वेतन के 3% की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि आहरित करने के लिए पात्र होगा/होगी और आगामी वर्षों में उसी तारीख को तब तक वेतन वृद्धि प्राप्त करता रहेगा/रहेगी, जब तक कि वह वेतनमान की अधिकतम सीमा तक नहीं पहुंच जाता/जाती है। वेतनमान की अधिकतम सीमा तक पहुंच जाने के बाद उसे हर दो वर्ष की अवधि में पिछली आहरित वेतन वृद्धि की दर के समतुल्य स्टैगनेशन इन्क्रीमेंट स्वीकृत किया जाएगा, बशर्ते कि उसकी निष्पादन रेटिंग ''अच्छी'' अथवा उससे ऊपर बनी रहे। उसे अधिकतम तीन बार ऐसी स्टैगनेशन इन्क्रीमेंट स्वीकृत की जाएगी।

1.7 मकान किराया भत्ता: वह डीपीई के दिनांक 26.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन में दर्शाई गई दरों के अनुसार मकान किराया भत्ता (एचआरए) के लिए पात्र होगा/होगी।

1.8 आवासीय घर और इस प्रकार दिए गए घर के लिए किराए की वसूली

1.8.1 कंपनी का आवास : जहां कहीं भी सीपीएसई ने औद्योगिक टाउनशिप में आवासीय फ्लैटों का निर्माण किया है, अथवा शहरों में आवासीय फ्लैट खरीदे हैं, वहां सीपीएसई द्वारा उसे उपयुक्त आवासीय घर उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी।

1.8.2 पट्टा युक्त आवास: यदि कोई सीपीएसई या तो टाउनशिप में निर्मित अथवा मुख्यालय में आवासीय फ्लैट या खरीदे गए फ्लैटों में से आवासीय घर उपलब्ध नहीं कराता है, तो ऐसी स्थिति में सीपीएसई कंपनी के मुख्यालय में पट्टा आधार पर परिसर लेकर उपयुक्त आवास उपलब्ध करा सकता है। सीपीएसई का निदेशक मंडल डीपीई के दिनांक 05.06.2003, 26.11.2008 और 02.04. 2009 के कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार इस प्रकार दिए जाने वाले आवासों के आकार, प्रकार और मुहल्ला का भी निर्धारण करे। सीटीसी के प्रयोजन से मूल वेतन के 30% को आवास व्यवस्था पर व्यय के रूप में माना जाए।

1.8.3 <u>सेल्फ–लीजः</u> यदि उसके पास तैनाती के स्थल (मुख्यालय) में अपना स्वयं का मकान है और वह अपने आवासीय प्रयोजनों के लिए स्वयं पट्टा आधार पर अपना स्वयं का घर लेना चाहता/चाहती है, तो सीपीएसई उसे ऐसा करने की अनुमति दे सकता है, बशर्ते कि वह सीपीएसई के पक्ष में पट्टा–विलेख निष्पादित करे। निदेशक मंडल ऐसे आवास के आकार, प्रकार और मुहल्ले का निर्धारण करे।

1.8.4 <u>पट्टे पर लिए गए आवास का सुधार कार्य/रखरखाव</u> : पट्टा युक्त आवासों के अपेक्षित सुधार कार्य और रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित पट्टेदार की है। पट्टा किराया एक वर्ष में केवल 12 माह के लिए ही देने की अनुमति होगी और पट्टा युक्त आवास के सुधार कार्य/रखरखाव के मद पर कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

1.8.5 <u>मौजूदा पट्टा–विलेख</u> : अपने लिए पट्टा आधार पर लिए गए आवास के संदर्भ में सीपीएसई द्वारा हस्ताक्षरित पट्टा करार, यदि कोई है, 26.11.2008 के पहले किया जाता है, तो उसे पट्टा अवधि की बकाया अवधि के दौरान पुनः नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि पट्टे की धनराशि को तब तक नहीं बढ़ाया जाएगा, जब तक कि पट्टा अवधि समाप्त नहीं हो जाती है। यह प्रावधान यहां तक कि उस सूरत में भी लागू होगा कि उसे स्वयं पट्टा आधार पर अपना घर लेने के लिए अनुमति दी गई थी।

1.8.6 <u>कार्यालय के लिए स्थानः</u> सीपीएसई के खर्चे पर उसके आवास पर सीपीएसई द्वारा कार्यालय के लिए कोई भी स्थान उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

1.9 <u>किराया वसूली</u>

1.9.1 <u>सीपीएसई की टाउनशिप/उसके अपने फ्लैट</u> : कंपनी द्वारा अपनी टाउनशिप में अथवा शहरों या कस्बों में इसके द्वारा खरीदे गए फ्लैटों के पूल में से की गई व्यवस्था और उसे इस प्रकार आवंटित किए गए आवास के लिए किराए की वसूली .....(ज्वाइन करने की तारीख) से मूल वेतन के 10% की दर अथवा कंपनी द्वारा यथा निर्धारित मानक दर, जो भी कम है, से की जाएगी। जहां सीपीएसई ने आवास के प्रकार के आधार पर अपनी टाउनशिप में आवासों के संदर्भ में वसूली की दरें निर्धारित की हैं अर्थात प्रत्येक प्रकार के आवास के लिए समान आधार पर किराए की वसूली का प्रावधान किया है, तो उसे सीपीएसई द्वारा विहित किराए का भुगतान करना होगा।

1.9.2 <u>पट्टायुक्त आवास</u> : सीपीएसई द्वारा व्यवस्थित पट्टायुक्त आवास के संदर्भ में ..... .(ज्वाइनिंग की तारीख) से संशोधित मूल वेतन के 10% की दर अथवा वास्तविक किराया, जो भी कम है, से उससे किराया वसूल किया जाएगा।

1.10 यात्रा भत्ता : वह नीचे दर्शाए अनुसार निजी इस्तेमाल के लिए स्टाफ कार की सुविधा हेतु पात्र होगा/होगी :

शहर का नाम	कार्य से इतर यात्राओं की सीमा
दिल्ली, मुबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरू, हैदराबाद	1000 किमी प्रति माह
अन्य सभी शहर	750 किमी प्रति माह

कार्य से इतर यात्राओं के लिए वसूली की मासिक दर निम्नानुसार होंगीः

गैर वातानुकूलित कारें	रुपए प्रति माह
16 एचपी से नीचे	325रु.
16 एचपी से ऊपर	490रु.

वातानुकूलित कारें (अनुसूची 'ए' पीएसई के मुख्यक कार्यपालक को वातानुकूलित कारों की अनुमति दी जाए)

वातानुकूलित कारें	रुपए प्रति माह
16 एचपी से नीचे	520रु.
16 एचपी से ऊपर	780रु.

1.11 छुट्टीः वह सीपीएसई की छुट्टी नियमावली के अध्यधीन होगा/होगी अर्थात उसके संबंध में सीपीएसई की छुट्टी नियमावली लागू होगी।

1.12 अन्य भत्ते/अनुलब्धियां : निदेशक मंडल दिनांक 26.11.2008 और 02.04.2009 के कार्यालय ज्ञापन में दर्शाए अनुसार उसके मूल वेतन की अधिकतम 50% की सीमा के अध्यधीन भत्तों और अनुलब्धियों का निर्धारण करेगा।

1.13 निष्पादन संबद्ध वेतन : वह दिनांक 26.11.2008, 09.02.2009 और 02.04.2009 के कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार अनुमोदित पीआरपी के लिए पात्र होगा/होगी।

1.14 अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति लाभ : वह दिनांक 26.11.2008, 09.02.2009 और 02.04.2009 के कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार अनुमोदित योजनाओं के आधार पर अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति लाभों के लिए पात्र होगा/होगी।

1.15 आचरण, अनुशासन और अपील नियमावली :

1.15.1 सीपीएसई द्वारा अपने गैर कामगार श्रेणी के स्टाफ के संदर्भ में तैयार की गई आचरण, अनुशासन और अपील नियमावली आवश्यक संशोधनों के साथ उसके संबंध में भी लागू होगी कि उसके मामले में अनुशासनिक प्राधिकारी भारत के माननीय राष्ट्रपति जी होंगे।

1.15.2 सरकार के पास यह भी अधिकार सुरक्षित है कि यदि परिस्थितियां ऐसा करने के लिए बाध्य करें अर्थात उसके विरूद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई लंबित है अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे कोई आरोप पत्र जारी करने का निर्णय लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वह उसका त्यागपत्र स्वीकार न करे ।

1.16 सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र के पश्चात निजी वाणिज्यिक उपक्रमों में ज्वाइनिंग पर प्रतिबंध

श्री/श्रीमती/कुमारी.....इस सीपीएसई में सेवा से सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र के पश्चात एक वर्ष की अवधि के भीतर सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी भी ऐसी फर्म अथवा कंपनी, चाहे भारतीय अथवा विदेशी, में सलाहकार अथवा प्रशासनिक पद पर नियुक्ति स्वीकार नहीं करेगा/करेगी, जिसके साथ उस सीपीएसई के व्यापारिक संबंध हैं अथवा रहे हैं।

2. उससे संबंधित किसी भी ऐसे आईटम, जिसे पूर्ववर्ती पैराग्राफों में शामिल नहीं किया गया है, के संदर्भ में उसके लिए सीपीएसई/सरकार के संगत नियम/अनुदेश जारी होंगे।

3. यह वित्त प्रभाग के दिनांक .....के यूओ संख्या.....के जरिए प्राप्त सहमति और भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिनांक ....के यूओ संख्या .....के जरिए प्राप्त सहमति से जारी किया जाता है।

भवदीय

( )

प्रतिलिपि :

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग (डीपीई) , वेज सेल, ब्लॉक सं. 14, सीजीओ परिसर, लोदी रोड, नई दिल्ली – आपके दिनांक .....के यूओ नोट सं. .....के संदर्भ में ।

(डीपीई का.ज्ञा.सं. 2 (30)/09–डीपीई (डब्ल्यूसी), दिनांक 30 दिसंबर 2009)

*****